न्यायालय सहायक आयुक्त उपनिवेशन (प्रथम) बीकानेर मु0 कोलायत
पीठासीन अधिकारी :– श्री सांवरमल रेगर आर.ए.एस.

वाद संख्या 02/2019

श्रीमती मगेंज कंवर पुत्री शैतान सिंह पत्नी श्री माल सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम बीठनोक हाल आबाद गनोडा तहसील सुजानगढ जिला चुरू

..... वादीनी

बनाम

1. श्रीमती पन्नेकंवर पत्नी श्री शैतान सिंह जाति राजपूत निवासी बीठनोक तहसील कोलायत जिला बीकानेर
2. श्रीमती राजकंवर पुत्री शैतान सिंह पत्नी श्री रविन्द्र सिंह जाति राजपूत निवासी बीठनोक हाल आबाद 10–विवेक विहार, आईटीआई कॉलेज के पास, बीकानेर तहसील बीकानेर जिला बीकानेर
3. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार उपनिवेशन, गजनेर मु0 कोलायत

.....प्रतिवादीगण

उपस्थिति :–1. रामचन्द्र सिंह भाटी अधिवक्ता वादीनी
2. राजीव पाण्डे अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 1, 2
3. पैरोकार राज

–: निर्णय :–

दिनांक :–23.04.2024

प्रार्थनापत्र अन्तगर्त धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम बीठनोक में खसरा नंबर 292 मीन में 12.09 बीघा, खसरा नंबर 272 मीन में 20.10 बीघा, खसरा नंबर 272 मीन में 30.16 बीघा भूमि वादीनी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम सामलाती खातेदारी भूमि है। उक्त भूमि में वादीनी एंव प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का हिस्सा बहिस्सा बराबर बराबर है। वादीनी एंव प्रतिवादी संख्या 1 व 2 आपस में माता पुत्री है व उपरोक्त भूमि का वाहमी खाता विभाजन किया हुवा है जिसके तहत वादीनी को ग्राम बीठनोक के खसरा नंबर 292 मीन में 12.09 बीघा में से 8 बीघा भूमि दी है तथा शेष भूमि वादीनी की माता व बहन को दी है व खसरा नंबर 272 मीन में 20.10 बीघा व खसरा नंबर 272 मीन में 30.16 बीघा भूमि प्रतिवादी संख्या 2 को दी है। वादीनी ने वाहमी विभाजन अनुसार ग्राम बीठनोक के खसरा नंबर 272 मीन में 30.16 बीघा व खसरा नंबर 272 मीन में 20.10 बीघा भूमि में अपना हिस्सा रिलिज डीड दिनांक 04.06.2018 को अपनी बहन प्रतिवादी संख्या 2 के हक में छोड दिया है। अब उक्त दो खसरों की भूमि में

वादीनी का कोई हक हिस्सा नहीं है। वादीनी वाहमी विभाजन अनुसार बीठनोक के खसरा नंबर 272 मीन में 12.09 में से 8 बीघा भूमि वादीनी की है, जिसका वादीनी विभाजन करवाना चाहती है।

प्रत्युत्तर में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से श्री राजीव पाण्डे ने उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से जवाब पेश कर उपरोक्तानुसार खाता विभाजन करने में सहमति जताई।

वाद मुख्यतः खाता विभाजन का है जिसमें पक्षकारान की सहमति होने से तनकियात व साक्ष्य की आवश्यकता नहीं होने से बहस सुनी गई।

उभय पक्ष की बहस समायत की गई। पत्रावली का अवलोकन किया। वाद एंव जवाबदावा का गंभीरता से अवलोकन किया। प्रस्तुत राजस्व अभिलेखों के अनुसार वादीनी एंव प्रतिवादी संख्या 1 व 2 वादगत भूमि के सहखातेदार है तथा वादीनी एंव प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के मध्य खाता विभाजन में सहमति भी है जिससे वाद पक्षकारों में आपसी सहमति होने से वाद स्वीकार किया जाता है तथा उपनिवेशन तहसीलदार, गजनेर मु0 कोलायत के ग्राम बीठनोक के खसरा नंबर 272 मीन में 12.09 बीघा भूमि का वादीनी के हिस्से 8 बीघा व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 केक 4.09 बीघा भूमि का वादीनी एंव प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के मध्य बाई मिटस एण्ड बाउण्ड, अच्छी से अच्छी व मन्दी से मन्दी भूमि के खाता विभाजन का प्रस्ताव तैयार कर, लगान कायम कर, नक्शा मे रंग प्रदर्शित कर प्रस्तुत करें।

प्राथमिक डिक्री पृथक से जारी की जाकर उपनिवेशन तहसीलदार, गजनेर मु0 कोलायत से विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 23.05.2024 को लिपिबद्व करवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सांवरमल रेगर)
सहायक आयुक्त उपनिवेशन प्रथम
बीकानेर मु. कोलायत

निर्णय व डिक्री की प्रति उपनिवेशन तहसीलदार, गजनेर मु0 कोलायत को पालनार्थ प्रेषित है।

डिकरी व मुकदमें इब्तदाई

(आदेश 20 के नियम 6 और 7 जाब्ता दीवानी)

(सिविल प्रकिया संहिता, परिशिष्ठ–डी 1)

अज अदालत सहायक आयुक्त उपनिवेशन, (प्रथम), बीकानेर मु0 कोलायत जिला बीकानेर

बइजलास–सांवरमल रेगर, आर0ए0एस0

मोज कंवर बनाम पन्नेकंवर वगैरह

वाद अन्तगर्त धारा 53,188 राजरथान काश्तकारी अधिनियम।

मुकदमा नंबर 02 वर्ष 2019

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू हमारे बहाजरी श्री रामचन्द्र सिंह भाटी. एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई, वकील प्रतिवादी श्री राजीव पाण्डे व तहसीलदार उपनिवेशन गजनेर मु0 कोलायत मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व प्राथमिक डिक्री किया जाता है कि ग्राम बीठनोक के खसरा नंबर 272 मीन में 12.09 बीघा भूमि का वादीनी के हिस्से 8 बीघा व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के हिस्से 4. 09 बीघा भूमि का वादीनी एंव प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के मध्य बाई मिटस एण्ड बाउण्ड, अच्छी से अच्छी व मन्दी से मन्दी खाता विभाजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। त्हसीलदार उपनिवेशन गजनेर मु0 कोलायत को आदेशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार वादीनी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के मध्य बाई मिटस एण्ड बाउण्ड, अच्छी से अच्छी व मन्दी से मन्दी भूमि के खाता विभाजन के प्रस्ताव तैयार करक, लगान कायम कर, रंग प्रदर्शित कर प्रस्तुत करें।

नीज.....मुबलिग.....बाबत.....खर्चा इस मुकमें मय सूद व शरह....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक.....को अदा करें।

बशब्द मेरे दस्तखत एंव अदालत के आज तारीख.....

मोहर

दस्तखत

आहदा

(सांवरमल रेगर)
सहायक आयुक्त उपनिवेशन
प्रथम बीकानेर मु. कोलायत

वाद के खर्च

वदी				प्रतिवादी			
1.वाद पत्र के लिए स्टाम्प	रू0	आ0	प0	शक्तिपत्र के लिए स्टाम्प	रू0	आ0	प0
2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प				अर्जी के लिए स्टाम्प			
3.प्रदर्शो के लिए स्टाम्प				प्लीडर की फीस			
4.....रूपए पर प्लीडर की फीस				साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय			
5.साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय				आदेशिका की तामिल			
6.कमिश्नर की फीस				कमिश्नर की फीस			
7.आदेशिका की तामिल							
जोड				जोड			

नोट :– इस खर्च के फार्म पर कुल खर्च हर फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरीये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये।